राजस्व अपील संख्या 616/2022

अनवान

केसरसिंह वगैराह बनाम राज0 राज्य वगैराह

दिनांक 17–11–2022

उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बाडमेर के द्वारा मुकदमा संख्या /2021 अनवान राज0 सरकार जरिये तहसीलदार सिवाना बनाम भीखराम वगैराह में पारित निर्णय दिनांक 14.12.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया हुआ होने से अपीलांट अधिवक्ता की स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.12.2021 का अवलोकन किया एवं पत्रावली के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात इत्यादि का भी अध्ययन किया तथा अपीलांट अधिवक्ता द्वारा चाही गई इस्तदुआ पर भी मनन किया। जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना जिला बाडमेर के द्वारा पारित किये गये आदेश दिनांक 14.12.2021 में किसी भी प्रकार हस्तक्षेप नहीं करते हुए तहसीलदार सिवाना को निर्देशित किया जाता है कि वो उभय पक्षकारान की उपस्थिति में मौका जॉच कर प्रकरण का निस्तारण करें। कोई भी पक्ष कदीमी रास्ता बन्द नहीं करें। उक्त निर्देशो के साथ हस्तगत अपील का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फेसलशुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय आज खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया।

अति0 संभागीय आयुक्त,
जोधपुर